

4.5.18

पगावली आठ कॅम्प कोर्ट वागोरा में पेसा हुई। पगावली का क्याम पूर्व का आवभोग किया गया। वादीगण ग्राम वागोरा के भूमि ख.नं. 20 व 28 के रिकार्ड्ड स्वातेदार दर्ज रिकार्ड्ड है। प्रतिवादी गण उक्त वर्णित भूमि के स्वातेदार नहीं है। प्रतिवादीगण को कोई हक नहीं लगता है कि वे वादीगण की स्वातेदारी भूमि के उपयोग उभोग में कोई दरबलवाई नहीं करें। वादीगण का वादपम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जागा अतएव क्याभोचित प्रतिब होरा है।

आदेश

वादपम स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को पारीसे स्वाई किषे छात्रा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की स्वातेदारी भूमि ख.नं. 20 व 28 ग्राम वागोरा स्थित के उपयोग उभोग में कोई दरबलवाई नहीं करें।

पगावली कॅसल सुमार होकर क२०२ से कम हो तथा दारिद्र्य हपतर हो।

19  
[Signature]  
[Stamp]  
[Signature]